न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS

पत्रावली संख्या : 235/11(प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री सुन्दरलाल पिता स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल ए94 मोतीनगर नम्बर 2, तरशाली सुसेन रिंग रोड बड़ौदरा गुजरात।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री भंवरलाल पिता रामप्रताप मण्डोवरा निवासी भीण्डर सदर बाजार तह. भीण्डर।

1/1 श्री सत्यनारायण पिता भंवरलाल मण्डोवरा निवासी भीण्डर तह. भीण्डर।

1/2 श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी रामचन्द्र पोरवाल निवासी 4 देव प्रीतम नगर 19 एफ कॉर्नर हरिकृष्णा कॉम्पलेक्स के पीछे 38 पालडी, एलीस ब्रीज, अहमदाबाद–6 गुजरात।

1/3 श्रीमती सुशीला पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी सुनील चण्डक निवासी उपरला पाडा, चण्डक भवन, गांधी चौक, चित्तौडगढ राजस्थान।

2. श्रीमती रूकमणी बेवा बंशीलाल मण्डोवरा निवासी हाल 8 धनन्जय सोसायटी बी.आई. पी. रोड कारेली बाग बड़ौदरा गुजरात।
3. श्री कैलाश पिता स्व. बंशीलाल मण्डोवरा निवासी हाल 8 धनन्जय सोसायटी बी.आई. पी. रोड कारेली बाग बड़ौदरा गुजरात।
4. श्री राजेन्द्र पिता बंशीलाल मण्डोवरा निवासी बी 91, सनराईज बंगला, समारोड, बड़ौदरा गुजरात।
5. श्रीमती लीला पत्नी ईश्वरलाल सोमाणी निवासी पलानाखुर्द उपरला बगेला, तहत्र मावली।
6. श्रीमती शारदा पत्नी चन्द्रकान्त जागेटिया निवासी बारडोली जिला सुरत गुजरात।
7. श्रीमती कंचन बेवा जानकीलाल इनाणी निवासी अहमदाबाद 51, मंगल ध्वनी सोसाईटी रामराज्य नगर के पास सरस्वती के पीछे, ओढव गुजरात।
8. श्रीमती सोहनदेवी पत्नी मांगीलाल पोरवाल निवासी कुंवारिया जिला राजसमन्द एवं रमेशचन्द्र मांगीलाल पोरवाल ए1 अमीन पार्क, मणीनगर के पास मांजलपुर बड़ौदरा गुजरात।
9. श्री नाथुलाल पिता चम्पालाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द तह. मावली।
10. श्रीमती गंगा पुत्री स्व. चम्पालाल मण्डोवरा पत्नी शंकरलाल जागेटिया निवासी वनमाली कांकाणी पोल, मोटाडेला शाहपूर चकला, शाहपूर अहमदाबाद गुजरात।
11. श्री कन्हैयालाल पिता चम्पालाल मण्डोवरा निवासी ओल पाड़ शी 5 सिद्वनगर सोसायटी, मुकाम पोस्ट ओलपाड़ जिला सुरत गुजरात।
12. श्री केशुलाल पिता चम्पालाल मण्डोवरा निवासी 150 आनन्दनगर सोसायटी, कारेली बाग रोड बड़ौदरा गुजरात।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री जोधसिंह सांरगदेवोत, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 05.12.2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा पलानाखुर्द की आराजी नम्बर 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870 किता 10 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा स्थित है जिसका एक वाद घोषणा एवं पांती बंटवाडा का न्यायालय आपमें तारीख 08.12.2007 ई. को कर रखा है जिसका वाद नम्बर 349 सन् 2007 है और उस वाद में विपक्षीगण सभी प्रतिवादीगण क्रमशः 15, 18, 16, 17, 28, 29, 26, 27, 19, 22, 20, 21 हैं। इस प्रकरण में उपरोक्त भूमि वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित की जा रही हैं। पक्षकारो की वंशावली इसके साथ नत्थी हैं। वादगत भूमि जब मुकदमा नम्बर 349 सन् 2007 वाद पत्र न्यायालय आपमें संस्थित किया उस दिन विपक्षीगण सं. 1 से 8 के पिता/पति स्व. रामप्रताप मण्डोवरा, विपक्षीगण 9 से 12 के पिता श्री चम्पालाल, वादी के स्व. पिता रामचन्द्र के 1/3 हिस्से से, प्रतिवादी नाथुलाल पिता गोविन्दराम मण्डोवरा ''जो इस प्रकरण में विपक्षी नहीं हैं'' के 1/3 हिस्से से और श्री मांगीलाल पिता नन्दकिशोर प्रतिवादी सं. 24 ''यह भी इस प्रकरण में विपक्षी नहीं है'' के 1/3 हिस्से से खातेदारी में दर्ज थी।
2. वादगत भूमि में प्रतिवादी मांगीलाल के स्व. पिता नन्दकिशोर जी ने मिती सम्वत् 2001 चेत सुदी 13 ई. को बिल एवज रूपया 50 पचास रूपया में अपने 1/3 सम्पूर्ण हिस्से को वादी के दादा स्व. श्री पन्नालाल जी को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया तब से पन्नालाल जी का इस भूमि में 2/3 हिस्सा हो गया। परन्तु खतौनी में नामान्तरकरण खुलाना रह गया जिस वजह से श्री नन्दकिशोर पिता श्री सीताराम मण्डोवरा के देहान्त के पश्चात् उनके पुत्र प्रतिवादी सं. 24 मांगीलाल मण्डोवरा के विरासत से दर्ज हो गया। मांगीलाल के 1/3 हिस्सा खतौनी में दर्ज रह जाने से इस हिस्से को स्व. रामचन्द्र जी के वारिस वादी एवं प्रतिवादी 1 से 14 के खातेदारी की घोषणा का उपरोक्त वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं। प्रतिवादी सं. 24 के स्व. पिता नन्दकिशोर जी से उनका पूरा हिस्सा 1/3 वादी के दादा ने सम्वत् 2001 ई. को चेत सुदी 13 को रूपया 50/— पचास रूपया में खरीद लिया परन्तु राजस्व खतौनी में नामान्तरकरण नहीं खुलाने से नन्दकिशोर जी के पुत्र मांगीलाल प्रतिवादी सं. 24 के नाम पर विरासत से अंकित हो गई। वादी के दादा पन्नालाल जी के देहान्त के पश्चात् वादगत जमीन उनके पुत्र भागचन्द, रामप्रताप, चम्पालाल तथा रामचन्द्र के नाम पर 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ। पन्नालाल जी के चारों पुत्रों ने अपने पिता के देहान्त के पश्चात् अपनी पैतृक भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा इस प्रकार से किया कि वादगत भूमि जिसे भूतिया वाली जमीन कहते है वह बडे भाई श्री भागचन्द के रखी और जमीन नामी केराई को उनके तीनो भाईयों के हिस्से में रखी। भागचन्द को अलग इस वजह से किया क्योंकि वह एक हत्या के मामले में सजायाप्ता थे जिसे समाज से बहीष्कृत कर दिया था। उसे परिवार से अलग करने का जाती समाज का आग्रह था।
3. वादी के पिता के बडे भाई भागचन्द जी के कोई पुत्र औलाद नहीं हुई सो उन्होने अपनी चल अचल सम्पूर्ण सम्पति को उनकी सेवा चाकरी करने वाले भाई वादी के पिता स्व. रामचन्द्र जी को वसीयत कर दी। वसीयत पत्र तारीख 01.08.1972 ई. को

दो स्टाम्प पेपर पर लिखा भागचन्दजी ने उस पर अपने हस्ताक्षर किये एवं आठ ''8'' मौतबीरों की साखे लगवाई। जिस वजह से वादगतभूमि के 2/3 हिस्से के स्व. रामचन्द्र जी खातेदार हुए, सो रामचन्द्र जी के देहान्त के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 14 हुए। वादगत भूमि वादी के पिता के बडे भाई भागचन्द जी की थी जिन्होने वादी के पिता को वसीयत कर दी जिस वजह से वादी के अन्य भाई श्री रामप्रताप जी एवं श्री चम्पालाल जी का कोई स्वत्व ह कइस भूमि में नहीं हैं। भाई बंटवारा के अनुसार भागचन्द जी और अन्य भाईयों ने केवल बही में यादगार से लिखतम तो कर ली, परन्तु खतौनी में अंकन नहीं कराया। इसलिए वादी के पिता के साथ स्व. रामप्रताप जी और स्व. चम्पालाल जी के नाम पर भी अंकित चलती रही और उनके देहान्त के पश्चात् विपक्षीगण के नाम पर भी अंकित हो गई हैं। परन्तु विपक्षीगण का वादगतभूमि में कोई स्वत्व नहीं है न कब्जा ही हैं। कब्जा केवल प्रार्थी एवं उसके भाई बहिन, माता का ही हैं। जिसकी घोषणा का ही प्रार्थी का उपरोक्त वाद हैं।

4. वादी ने मुकदमा नम्बर 349/07 वाद पत्र न्यायालय आपमें ठोस आधार पर किया है जिसमें वादी को निश्चित सफलता मिलेगी। परन्तु उसमें समय लगेगा। प्रतिवादी सं. 24 मांगीलाल की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसों ने एक दिखाउ विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया है सो विपक्षीगण का भी नाम खतौनी में दर्ज होने से वादगत भूमि का विक्रय पत्र अन्यों के नाम से कर देने का मन हो गया हैं। भूमि के दलाल उन्हे यह कह रहे है कि वे भूमि का कब्जा विक्रय पत्र निष्पादित करने के बाद वादी से जबरन छिन लेंगें, क्योकि कब्जा छीनने के लिए उनकी अपनी हथियार बन्द फोर्स है, पुलिस उनकी मदद को तैयार हैं। सो विपक्षीगण को ताफैसला वाद जमीन को कोई भी विक्रय पत्र, रहन पत्र या अन्य प्रकार से अन्तरण नहीं करे, अन्यथा मौके पर भारी विवाद होगा, शान्तीभंग होगी, झगडे फसाद होगें और वाद करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा।
5. विपक्षीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से उन्हे कोई नुकसान असुविधा नहीं होने वाली है क्योंकि वादगत भूमि पर उनका कब्जा ही नहीं हैं। वादगत भूमि वादी की ओर से श्री दयाराम पिता नवला जी गुजर निवासी गुजर पाडा पलानाखुर्द के रहन बिल कब्ज हैं। रहन नामा की नकल इसके साथ पेश हैं। सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से कोई असुविधा नहीं होती है बल्कि निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को भारी अशोधनीय क्षति होगी। जिसे रूपयों में आकंना सम्भव नहीं होगा, न उसकी वसूली ही सम्भव हैं। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण के खिलाफ इस आशय का आदेश प्रदान कराया जावे कि वे ताफैसला वाद वादगत भूमि का कोई भी अन्तरण पत्र किसी के भी पक्ष में निष्पादित नहीं करे। ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश हैं।
6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 9, 11, 12 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भागचन्द जी विवाहित होकर उनके एक पुत्री थी जिनका नाम दाखीबाई है जिनका विवाह केलवाडा करवाया गया। इस तरह प्रार्थी ने इन तथ्यों को छुपाया हैं। मुकदमा नम्बर 349/07 है जो सही हैं। बाकी शेष तथ्य झूठे है। कोई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 24 मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी है। यह कथन प्रार्थी का है। उनके विरूद्व भी प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना चाहता है

तो प्रार्थना पत्र में उनके वारिसानों को भी पक्षकार बनाना जरूरी है। इस कलम में यह स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा किन पक्षकारों के विरूद्व जारी कराना चाहता है। वे से भी विपक्षीगण हिस्सेदार आराजी कृषि भूमि के खातेदार कृषक है। इसलिए उनके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना अन्याय होगा। स्वयं प्रार्थी रहन की बात कर रहा है। उसे रहन कर अन्तरिम करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वह स्वयं गैर कानूनी कार्य कर रहा हैं। विवादित कृषि भूमि में पूर्व मे जो लिखतम प्रार्थी ने पेश की है उसमें आराजी नम्बर का कोई हवाला नहीं हैं। इसलिए निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वौ यही आराजी है जो प्रार्थी कह रहा हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगणों को भारी असुविधा व अपूरणीय क्षति होगी। क्योंकि विपक्षीगण खातेदार काश्तकार है व जमीन को आबाद विकास करने में काफी रूपयों की आवश्यकता हैं। वितिय संस्थाओं से ऋण भी लेना पडता हैं। इसलिए रहन भी करना पडता हैं जो विपक्षीगणों के लिए जायजकार्य हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

7. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि राजस्व रेकार्ड में रामप्रताप, चम्पालाल, रामचन्द्र पिता पन्नालाल 1/3, नाथुलाल पिता गोविन्दराम 1/3, मांगीलाल पिता नन्दकिशोर महाजन 1/3 के नाम दर्ज हैं। भूमि पूर्व में वादी के दादा पन्नालाल जी के नाम दर्ज होना बताया जो पन्नालाल जी के देहान्त के पश्चात् उनके पुत्र भागचन्द्र, रामप्रताप, चम्पालाल तथा रामचन्द्र के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज होना बताया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की कलम सं. 4 में निवेदन किया है कि पन्नालाल जी की मृत्यु के बाद आपसी सहमति बंटवाडे से भूतियों वाली जमीन भौतिक रूप से भागचन्द के हिस्से में रखी व राजस्व रेकार्ड में रामप्रताप, चम्पालाल व रामचन्द्र के ही नाम करने का कथन किया हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की कलम सं. 5 में वर्णित किया है कि भागचन्द के कोई औलाद नहीं होने से अपनी अचल सम्पति को वादी के पिता रामचन्द्र को वसीयत पत्र दिनांक 01.08.72 से करने का कथन किया हैं। जिस आधार पर वादी के पिता रामचन्द्र का 2/3 हिस्सा प्रार्थी मान रहा हैं। चूंकि राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से जमाबन्दी में भागचन्द्र प्रार्थनाग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं था, तो वसीयत के आधार पर भूमि खाते होने का प्रश्न मूल वाद में ही तय किया जा सकता हैं। अतः प्रार्थी खातेदार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता हैं।
2. *सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार प्रार्थी नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि में दादा पन्नालाल जी की होने का कथन किया हैं, जो पन्नालाल जी मृत्यु के बाद पन्नालाल के चारो पुत्र भागचन्द्र, रामप्रताप, चम्पालाल तथा रामचन्द्र के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, जबकि पन्नालाल जी के बडे पुत्र भागचन्द्र जो की एक हत्या के मुकदमें में सजायाप्ता थें व समाज से बहिष्कृत होने से राजस्व रेकार्ड में भागचन्द्र जी का नाम नहीं लिखाया जाकर पन्नालाल जी के तीन पुत्रों रामप्रताप, चम्पालाल तथा रामचन्द्र के ही नाम अंकन कराये जाने का कथन किया हैं जबकि वादी द्वारा कथन किया है कि आपसी सहमति से भौतिक बंटवाडे में भागचन्द्र जी को उनका हिस्सा जो भूतिया वाली जमीन थी दे दिया गया था। जिसका कथन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की कलम सं. 4 में किया हैं। भागचन्द्र जी के कोई औलाद नहीं होने से भागचन्द्र जी द्वारा वादी के पिता रामचन्द्र जी के पक्ष में दिनांक 01.08.72 को वसीयत लिखकर हस्ताक्षर कर पारित की गई थी। जिसका कथन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की कलम सं. 5 में वर्णित किया हैं। चूंकि प्रश्न यह है कि प्रार्थी भागचन्द्र द्वारा की गई वसीयत के आधार पर प्रार्थीगण भूमि अपने नाम पर कराने की राहत प्राप्त कर सकते हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि भागचन्द्र जी के नाम प्रार्थनाग्रस्त भूमि का कोई भी हिस्सा राजस्व रेकार्ड में कभी दर्ज नहीं रहा हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी वसीयत के आधार पर भागचन्द्र जी के हिस्से की भूमि को भी नाम पर कराने की प्रार्थना की हैं। उक्त बिन्दु को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर ही तय किया जा सकता हैं। चूंकि वर्तमान में खातेदार अपनी अपनी भूमि पर काबिज है ऐसी स्थिति में यदि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये गए है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.09 17:34:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: